-प्रेस नोट-

दिनांकः 31.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 बैटरे व 01 मोटर साइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 22.08.2024 को वादी श्री कुशलपाल पुत्र हरपाल निवासी कुतुबपुर लबडौला थाना नागल सहारनपुर द्वारा कमिश्नर कार्यालय दिल्ली रोड से अज्ञात चोर द्वारा वादी के ट्रैक्ट्रर की बैटरी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 470/24 धारा 303(2),बीएनएस मे पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.08.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तगण **1. अनीस पुत्र इरफान नि0 भट्टा कालोनी पेपर मिल रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर व 2. शाहरुख उर्फ अताउर रहमान पुत्र अहमदुलार खान नि0 भट्टा कालोनी पेपर मिल रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर** को चेंकिंग/गश्त के दौरान ग्राम जंन्धेडी के आने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी के 02 अदद बैटरे व एक मो0सा0 न0 यूपी 11 बीवाई 1466 प्लेटिना बिना कागजात बरामद हुई तथा मोटर साइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी अभियुक्तगण को अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर दोनो ने एक स्वर मे बताया कि हमने यह दोनो बैटरे भारत बंद वाले दिन हसनपुर चुंगी से आगें दिल्ली रोड पर खडे दो ट्रैक्टरो से चोरी किये थे। तथा आज हम दोनो इन दोनो बैटरो को चोरी छिपे लेकर बेचने के लिये जा रहे थे कि आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अनीस पुत्र इरफान नि0 भट्टा कालोनी पेपर मिल रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. शाहरुख उर्फ अताउर रहमान पुत्र अहमदुलार खान नि0 भट्टा कालोनी पेपर मिल रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर।

अभियुक्त अनीस का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 232/2021 धारा 188/270 भादवि व 3 महामारी अधि0 कोतवाली मण्डी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 02 बैटरे बरामद
- 01 मो0सा0 न0 यूपी 11 बीवाई 1466 प्लेटिना सीज शुदा अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री अभिषेक चौरसिया थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. है0का0 714 नितिन तोमर थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. है0का0 235 विनित थाना सदर बाजार सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 31.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 100 ग्राम स्मैक व 01 बुलेट मोटर साइकिल बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अवैध मादक/नशीले पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.08.2024 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त **दानिश उर्फ भोटू पुत्र नाजिम निवासी रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** को हथनीकुण्ड चौकी के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 100 ग्राम स्मैक व एक मोटर साइकिल रॉयल इनफील्ड बुलेट रजि0न0 HR71G2337, चैसिस नम्बर ME3U3K5C1JG344223 व इंजन नम्बर U3K5C1JG410687, रंग काला बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण दानिश उर्फ भोटू उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0सं0 141/24 धारा 8/21/60 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मै नशा करने का आदी हूँ हरियाणा से स्मैक सस्ते दामों पर लाकर यहां बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। यह स्मैक भी मै आज बेचने के लिए ले जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

दानिश उर्फ भोटू पुत्र नाजिम निवासी रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 19/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 236/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 100 ग्राम स्मैक
- 01 मोटर साइकिल रॉयल एनफील्ड बुलेट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 जसपाल सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. हेका0 461 धर्म सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. हेका0 958 धीरेन्द्र थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
5. का0 1131 सूरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 31-08-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा बीच बाजार आने जाने वाली महिलाओ पर अश्लील फब्तिया कसने वाला मनचला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिलाओ/छात्राओं की सुरक्षा को लेकर मनचले/शातिर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.08.2024 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा बीच बाजार आने जाने वाली महिलाओ पर अश्लील फब्तिया कसने वाले शातिर **अभियुक्त हमजा पुत्र इस्तखार निवासी झोटेवाला थाना मण्डी सहारनपुर** को अरबी मदरसे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना पर मु0अ0सं0 333/2024 धारा 296 बीएनएस बनाम हमजा के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता –

हमजा पुत्र इस्तखार निवासी झोटेवाला थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक नेमचन्द सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री धर्मपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. म0का0 838 मीनाक्षी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 1039 शोएव मिर्जा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांकः 31.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा-2023 में फर्जी प्रपत्रो के आधार पर परीक्षा देने आया 01 अभ्यार्थी/अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में उ०प्र० पुलिस आरक्षी परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 31.08.2024 को निरीक्षक श्री त्रिभुवन सिंह तैनाती अपराध शाखा पुलिस लाईन सहारनपुर की डियूटी परीक्षा केन्द्र इस्लामिया इन्टर कालेज ईदगाह रोड सहारनपुर में द्वितीय पाली केन्द्र प्रभारी के रूप में लगी थी। निरीक्षक श्री त्रिभुवन सिंह को बायोमैट्रिक टीम के सुपुरवाईजर अमित कुमार व आपरेटर एकान्त ने सूचना दी कि एक अभ्यर्थी जिसकी बायोमैट्रिक चैकिंग के दौरान जन्मतिथि के प्रपत्रों में अन्तर आ रहा है। इस सूचना पर निरीक्षक श्री त्रिभुवन सिंह केन्द्र प्रभारी , केन्द्र व्यवस्थापक , स्टेटिक मजिस्ट्रेट , एव केन्द्र प्रभारी को अवगत कराकर मौके पर बुलाकर अभ्यार्थी रोल नं0 5077919 वीर सिंह पुत्र नेक्सा सिंह निवासी ग्राम नंगला रूमी थाना खुर्जा जंक्सन जिला बुलन्दशहर आरक्षी भर्ती की परीक्षा हेतु आये अभ्यार्थी उपरोक्त की बायोमैट्रिक के E-KYC के दौरान पोर्टल पर उक्त अभ्यार्थी की भिन्न-भिन्न जन्मतिथि 01.05.1993 व 05.12.1999 दर्शायी गयी है। बायोमैट्रिक जांच में अभ्यर्थी की दो अलग- अलग जन्मतिथि अंकित पायी गयी। जिसके आधार पर **अभियुक्त वीर सिंह पुत्र नेक्सा सिंह निवासी ग्राम नंगला रूमी थाना खुर्जा जंक्सन जिला बुलन्दशहर** को परीक्षा केन्द्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से हाईस्कूल की अलग-अलग वर्षों की दो मार्कशीट एवं प्रवेश पत्र आदि बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 255/2024 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरी असली जन्मतिथि 01.05.1993 है तथा मैने इसी जन्मतिथि से जनता इन्टर कालिज सारंगपुर बुलन्दशहर से हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2007 में उत्तीर्ण की थी। चूकि जन्मतिथि के आधार पर मैं प्रचलित पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में नही बैठ सकता था इसलिये मैने वर्ष 2018 में अपनी जन्मतिथि को बदलवाकर 05.12.1999 अंकित करा दिया था तथा बदली हुयी जन्मतिथि से हाईस्कूल की परीक्षा चोखेलाल हायर सैक्न्ड्री स्कूल हरदोई अलीगढ से वर्ष 2018 में दोबारा उत्तीर्ण की ताकि मैं उम्र के आधार पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होता रहूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

वीर सिंह पुत्र नेक्सा सिंह निवासी ग्राम नंगला रूमी थाना खुर्जा जंक्सन जिला बुलन्दशहर

बरामदगी का विवरणः-

01 आधार कार्ड, 01 फर्जी प्रवेश पत्र, भिन्न भिन्न वर्षो में उत्तीर्ण हाईस्कूल परीक्षा की अंकतालिका की छायाप्रति

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. केन्द्र व्यवस्थापक श्री गुफरान आलम जनपद सहारनपुर
2. स्टेटिक मजिस्ट्रेट श्री संजय कुमार कौशल जनपद सहारनपुर
3. केन्द्र प्रभारी श्री राहुल कुमार जनपद सहारनपुर
4. केन्द्र सहायक व्यवस्थापक श्री आदित्य नारायण शर्मा जनपद सहारनपुर
5. निरीक्षक श्री त्रिभुवन सिंह अपराध शाखा पुलिस सहारनपुर।

दिनांक 31-08-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-द्वितीय जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 13 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा –

अवगत कराना है कि दिनांक 03.07.2011 को वादी श्री कपिल धीमान पुत्र विरेन्द्र धीमान नि0 नुमाईस कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त रवि आर्य पुत्र भोलानाथ आर्य नि0 जेल चुंगी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर द्वारा वादी व वादी के दोस्त आनन्द व अभिषेक को चाकु से मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देना व गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देने की सूचना के आधार पर मु0अ0स0-222/2011 धारा 308,504,506 भादवि थाना जनकपुरी पर पंजीकृत कराया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 307 भादवि की गयी। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-267/2012 पर मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-द्वितीय जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-द्वितीय जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 31.08.2024 को अभियुक्त रवि आर्य पुत्र भोलानाथ आर्य उपरोक्त को मु0अ0स0-222/2011 धारा 307,504,506 भादवि का दोषी पाते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 13 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री मैनपाल सिंह
विवेचक- क्षेत्राधिकारी श्री जगदीश सिंह
पैरोकार-का0 2189 संजय कुमार थाना जनकपुरी सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 31.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा नशा तस्करी के मामले में अभियुक्त को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः -

अवगत कराना है, कि दिनांक 04.02.2020 को वादी उ0नि0 श्री समय सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त के कब्जे से 200 ग्राम चरस बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0-41/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया । उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 437/2020 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 31.08.2024 को अभियुक्त फरमान पुत्र रिजवान उपरोक्त को मु0अ0स0-41/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम का दोषी पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास कारावास व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी
विवेचक उ0नि0 श्री आरिफ अली
पैरोकार हे0का0 650 लक्षेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक 31-08-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 जनपद सहारनपुर द्वारा नाबालिक युवती से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 24.09.2023 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त राहुल उर्फ झन्डू पुत्र बबली नि0 खुदाबक्शपुर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया का पीछा करना व ईख के खेत में धक्का देना दुष्कर्म करने का प्रयास करना व गली-गलौच कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर मु0अ0स0-187/2023 धारा 354क,354ख,ग,376,511, 504,506 भादवि व 7/8 पोक्सों अधिनियमउ 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। विवेचना उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 2635/2023 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 31.08.2024 को **राहुल उर्फ झन्डू पुत्र बबली को मु0अ0स0-187/2023 धारा 354,354ख,354क,354घ,506 भादवि व 7/8 पोक्सों अधिनियम का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास व प्रत्येक पर 12 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री विवेक कौशिक
विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री अशोक कुमार सिसौदिया
पैरोकार का0 2095 नितिन नागर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।